कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

आदेश

एसबी सिविल याचिका संख्या 4370/2021 मनोज कुमार पाराशर व अन्य बनाम राजस्थान सरकार एवं अन्य मे माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 10.03.2021 को पारित निर्णय मे निम्नांकित याचिकार्थियों ने अभ्यावेदन निस्तारण हेतु विभाग को प्रेषित किए है –

क्र.सं.	याचिकार्थी का नाम सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री मय पद	पदस्थापन स्थान
01	मनोज कुमार पाराशर, वरिष्ठ सहायक	राउमावि सावता तहसील बेगूं चित्तौड़गढ़
02	गोविन्द दत्त शर्मा सेवा.नि. व0सहा0	रामावि मागुन्दा ब्लॉक अराई विश्वकर्मा स्कूल के सामने रूपनगढ़ रोड मदनगंज, किशनगढ़, अजमेर
03	विनोद कुमार वर्मा, कनिष्ठ सहायक	रा.शार्दूल उमावि किशनगढ़, अजमेर
04	रामकिशन बजाज, कनिष्ठ सहायक	रामावि चोरसियावास, अजमेर
05	सूरज मल, कनिष्ठ सहायक	संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा अजमेर
06	प्रेम किशोर शर्मा, कनिष्ठ सहायक	रामावि फरारिया किशनगढ़, अजमेर
07	भगवन्ती तोतवानी, वरिष्ठ सहायक	रा.जवाहर उमावि अजमेर
08	रमेश चन्द्र, कनिष्ठ सहायक	राउमावि साम्प्रोदा, अजमेर
09	परशराम बागोरिया, से.नि.वरि0सहा0	गु.ब्लॉक शि.अ. नांवा, नागौर
10	प्रदीप भारद्वाज, कनि.सहायक	राउमावि हाडौता, जयपुर
11	सुधीर प्रकाश पुरोहित, वरि0सहा0	राउमावि मनोहरपुरा, अजमेर
12	रमजान मौहम्मद, वरिष्ठ सहायक	राउमावि लूणवॉ नांवांशहर, नागौर
13	मीरा लालवानी, वरि0सहा0	जिशिअ मु. मा.शि. अजमेर
14	अमर चन्द्र गुर्जर, कनि0सहा0	राउमावि नारेली, अजमेर
15	हेमलता माथुर, से.नि. कनि0सहा0	राउमावि गोपालपुरा देवरी, जयपुर
16	कृष्ण गोपाल गर्ग, वरि0सहा0	राउमावि गिरी, पाली
17	नरेन्द्र तोतवानी, वरि0सहा0	राउमावि गुलाबवाडी, अजमेर
18	बनवारी लाल कोली, सहा0प्रशा0अधि0	R/O Jat colony, 200 foot road, alwar
19	अंजना माथुर, वरिष्ठ सहायक	R/O Ploat No. 336, First Floor, Gate No. 03 Shalimar Vistar, Alwar
20	अनिता देवी, वरिष्ठ सहायक	R/OWard no. 18 Opposite Uco Bank, Mattor road, Kherthal Mandi, Alwar
21	पुष्पा गुप्ता, कनिष्ठ सहायक	R/O 267,Adarsh Colony Daudpur Alwar

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.03.2021 के अनुसरण मे याचिकार्थियो द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 01.10.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनकी राज्य सेवा मे कनिष्ठ लिपिक के पद पर प्रथम नियुक्ति वर्ष 2000 एवं 2009 की है। याचिकार्थियो को नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की पालना मे दी गई थी। प्रार्थीयो द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से वरिष्ठता एवं वेतन सम्बन्धी लाभ दिये जाने के सम्बन्ध मे निवेदन किया है।

यह है कि माननीय उच्च न्यायालय न्यायालय मे दायर याचिका संख्या 712/04 श्री दिनेश कुमार सैनी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य मे जयपुर बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.03.2004 की पालना में प्रशासनिक सुधार विभाग, जयपुर द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्थाई समिति की बैठक दिनांक 06.12.2004 को शासन सचिव, शिक्षा की अध्यक्षता मे आयोजित की गई थी। उक्त समिति द्वारा गम्भीर मनन एवं विचारोपरान्त यह स्पष्ट किया गया की माननीय उच्चतम न्यायालय मे दायर एस.एल.पी नम्बर 8287/93, 8376/93, 13969–70/93 मे पारित निर्णय दिनांक 27.09.1993 के परिप्रेक्ष्य मे इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के निर्देश दिए थे, जिसकी पालना मे नियुक्तियां दी जा चुकी है। जहां तक वरिष्ठता लाभ एवं अन्य आनुषांगिक लाभ प्रदत्त करने का प्रश्न है, न तो राज्य सरकार द्वारा एवं न ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह कहां गया है कि ये नियुक्तियां भूतलक्षी प्रभाव से होगी।

गए है कि राजस्थान लिपिक वर्गीय नियम– 1957 जो अब वर्ष 1999 के नाम से प्रदत्त है, के प्रावधानों के तहत वरिष्ठता नियमित नियुक्ति तिथि से देय है जिसके अनुरूप इन याचिकर्ताओं को उनके कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जा चुका है।

इस प्रकार के समान प्रकरण में दायर याचिका संख्या 13923/19 बालकिशन पारी व अन्य बनाम राज्य सरकार के निर्णय दिनांक 23.09.19 के विरूद्व विभाग द्वारा डी0बी0स्पेशल अपील 383/2020 दायर की गई है जिसमे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 22.10.20 को विभाग के पक्ष मे स्थगत प्रदान किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर मे डी.बी अपील संख्या 383/2020 राजस्थान सरकार व अन्य बनाम बालकिशन पारीक व अन्य दायर की गई है। उक्त स्पेशल अपील माननीय उच्च न्यायालय मे निर्णयाधीन होने के कारण, माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर एस.एल.पी. एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित राज्य स्तरीय समिति के विवरणानुसार क्रम संख्या 01 से 21 तक प्रस्तुत अभ्यावेदन राजस्थान लिपिक वर्गीय नियम– 1957 जो अब वर्ष 1999 के नाम से प्रदत्त है, के प्रावधानों के तहत वरिष्ठता नियमित नियुक्ति तिथि से देय है, के अनुरूप इन याचिकर्ताओं को उनके कार्यग्रहण दिनांक से वरिष्ठता का लाभ दिया जाकर एतद द्वारा अस्वीकार कर निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक शिविरा/माध्य/साप्र/बी–1/1986/4379/2021 दिनांक – 09/09/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अनुभाग अधिकारी विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/नि0/29891/डी/2021 दिनांक 20.07.2021 के क्रम में।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी–मुख्यालय, माध्यमिक को अभ्यावेदन की प्रति भेजकर लेख है कि संबंधित कार्मिक को सर्व करावे।
2. सम्बन्धित कार्मिक श्री ....
3. गार्ड पंजिका
4. कम्प्यूटर अनुभाग विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत।

उप निदेशक(प्रशासन)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर